हुक्
में

पाठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

– 130/2015

उनवान

1. चैनसिंह पिता सुजान सिंह राजपूत निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

————————(प्रार्थी)

बनाम

1. भगवत सिंह पिता सुजान सिंह राजपूत निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
2. जोरावर सिंह पिता मदन सिंह राजपूत निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
3. भगवत सिहं पिता मदनसिंह राजपूत निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
4. बालु पिता भज्जा खटीक निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
5. भैरू पिता मगना गुर्जर निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
6. भैरू पिता भज्जा खटीक निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
7. हरिहर सिंह पिता गणपत सिंह राजपूत निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
8. रामदेव सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
9. गोपाल पिता सोहन दरोगा निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
10. घीसू लाल पिता मांगीलाल पारीक निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
11. हजारी पिता चतरभुज दरोगा निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
12. नरेन्द्र पिता मदनलाल पारीक निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
13. एच0डी0एफ0सी0 बेंक अशोक मार्ग सी0 स्टीक जयपुर शाखा चितौडगढ
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 07.06.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लय मे दिनांक 08.01.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र बामणिया भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि **खाता 97 के आ0न0 230/1, 768, 793/1, 794/2, 798/2, 799, 854/2, 1084, 1097, 1104, 1105 कुल 11 कुल रकबा 22–12 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं गण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर गढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बामणिया मे दिनांक 07.06.2016 को किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना । इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद रुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का र्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य र्निविवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि गण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

ग्राम लाम्बा पटवार क्षैत्र बामणिया भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि **खाता 97 के आ0न0 230/1, 768, 793/1, 794/2, 798/2, 799, 854/2, 1084, 1097, 1104, 1105 कुल 11 कुल रकबा 22–12 बीघा** की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 2300/– रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बामणिया मे सरे इजलास सुनाया